

प्रशासनिक सुधार विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
7वाँ तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-110002

अताराकित प्रश्न संख्या:-

275

दिनांक:-

23.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम:-

श्री अजय दत्त

क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

| क. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|--------|---|---|
| क. | क्या यह सत्य है कि जन शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस) के द्वारा दिनांक 27.02.2018 तक प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित 165 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 13 शिकायतें दर्ज की गई जिसमें से 13 शिकायतें अभी भी लंबित है; | जी हाँ, 165 शिकायतें दर्ज की गई थी जिनमें से 13 शिकायतें 27.02.2018 तक लंबित थी। वर्तमान में इन सभी 13 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है। |
| ख. | यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इनमें से 13 शिकायतें निवारण समय से भी अधिक समय से लंबित हैं; | |
| ग. | यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है; | |
| घ. | क्या यह भी सत्य है कि 86 शिकायतों पर विभाग द्वारा दिए गए जवाब/कार्रवाई को संतोषजनक नहीं पाया गया है; | जी, हाँ। सामान्य तौर पर जिन मामलों में उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, उनका विभाग द्वारा पुनः अवलोकन किया जाता है। वर्तमान में सिर्फ 24 शिकायतों को शिकायतकर्ता द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया है। |
| च. | यदि हाँ, तो इन शिकायतों पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है; | <p>i) इनमें से कुछ e-RTI पोर्टल के शुभारंभ से संबंधित है। e-RTI पोर्टल का शुभारंभ 10.07.2017 को दिल्ली सरकार द्वारा हो चुका है इसलिए वर्तमान में इन शिकायतों की कोई प्रासंगिकता नहीं रही।</p> <p>ii) इनमें से कुछ शिकायतें नीतिगत मामलों से संबंधित हैं, जिनका विभागीय स्तर पर निवारण संभव नहीं है।</p> <p>iii) इनमें से कुछ निराधार शिकायतें हैं, जो कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।</p> <p>iv) इनमें से कुछ शिकायतें विनिर्दिष्ट है इसलिए संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता है।</p> <p>विभागीय स्तर पर इन सभी शिकायतों का पुनःअवलोकन कर इनके निपटान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक</p> |

| | | उत्तर दिया जा सके। |
|---|--|---|
| छ | क्या यह भी सत्य है कि सभी शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव के द्वारा भी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए; | जी, हाँ। |
| ज | इन शिकायतों के समय पर निवारण के लिए विभाग ने क्या कदम उठाए हैं; | उपरोक्त उत्तर 'घ' व 'च' के अनुसार। |
| झ | ये शिकायतें निवारण के लिए किन-किन अधिकारियों के पास और कब-कब भेजी गईं, इसका पूर्ण विवरण प्रदान करें; | वर्तमान में सभी लंबित शिकायतों का निपटारा हो चुका है। केवल 24 शिकायतें जिनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है, का पुनः अवलोकन किया जा रहा है ताकि शिकायतकर्ता को संतोषजनक उत्तर दिया जा सके। |
| ट | संबंधित अधिकारियों ने इनके निवारण के लिए क्या कदम उठाए, इसका विवरण प्रदान करें; और | |
| ठ | इन शिकायतों का निवारण कब तक हो जाएगा ? | |

लक्ष्मी

लक्ष्मी राज सिंह
उप निदेशक (प्र.सु.वि.)
दूरभाष: 011-23392726